

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

एस0 के0 शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची / प्रबंध निदेशक,  
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि०),  
(झालको), राँची,  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 27.3.2013

विषय :— मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना, उप शीर्ष-20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण, विपत्र कोड-50P470200789200543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-2013 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—


क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग / 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	789-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 20 पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुर्नस्थापन	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मत एवं सुसज्जीकरण / 50P470200789200543	50.00



अतिरिक्त आवंटित राशि — ₹ पचास लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रू० 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जाएगा।
- प्रबंध निदेशक, झालको द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति में निहित निदेशों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कार्यों की जाँच जिला में कार्यरत लघु सिंचाई प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा एवं उनके स्तर से नियमित जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग को प्रेषित किया जाएगा।
- अधीक्षण अभियंता मोनिटरिंग अंचल-3 एवं मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

  
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि०)

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

  
(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव  




9. आवंटित राशि के 70% का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही शेष राशि आवंटित की जायेगी।
10. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
11. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रबंध निदेशक झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
17. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2012-13 में निश्चित रूप से पूरा किया जायेगा।
18. कार्य को डिपोजिट वर्क (Deposit Work) के रूप में कराया जाएगा।
19. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 269

राँची, दिनांक :- 27.3.2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/सरायकेला-खरसाँवा/मेदिनीनगर/जमशेदपुर/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 269

राँची, दिनांक :- 27.3.2013

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



269

दिनांक : 27.3.2013

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

पत्रांक: .....

मॉग संख्या 50 लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष -4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना ।

उप शीर्ष -20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

विपत्र कोड-50P470200789200543 (अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण )

वित्तीय वर्ष 12-13 में बजट उपबंध ₹ 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र ।

(लाख ₹ में )

क	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	ग्राम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
						प्रसंग	राशि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	कोटा जिला के ग्राम	सरायकेला खरसांवा	खरसांवा	ढीपासाही	ढीपासाही सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार।	74 / 11-12 प्र०स्वी० दिनांक- 31.03.12	23.130	36.09	36.08	72.17	i) सुराबेड़ा एवं Newabela ग्राम के तालाब की गहराई बढ़ाई जाये। ii) सुराबेड़ा ग्राम के स्थल पर Bathing ghat का निर्माण नहीं किया जाय, Newabela के Bathing ghat को 50ft से घटाकर 20ft का दी जाय, तथा इससे बचत की गई राशि का प्रयोग तालाब की गहराई बढ़ाने के लिए की जाय तथा इन स्थलों पर पर्याप्त Berm space दिया जाय।	
		सरायकेला खरसांवा	खरसांवा	नुआंबेड़ा	सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार।		18.130					
		सरायकेला खरसांवा	खरसांवा	गीतीलता	गीतीलता सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार।		23.130					
		सरायकेला खरसांवा	कुचाई	सुराबेड़ा	सुराबेड़ा सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार।		23.130					
		पूर्वी सिंहभूम	पटमदा	गेरु	बड़ा बोंध सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार		25.054					
		पूर्वी सिंहभूम	बोझाम	खावासीन	खावासीन तालाब का जीर्णोद्धार		25.074					
		पश्चिमी सिंहभूम	खूँटपानी	बड़ा लगिया	बड़ा लगिया तालाब का जीर्णोद्धार		24.500					
		मेदिनीनगर	पाँकी	हरगू	पहड़तल्ली आहर का जिर्णोद्धार		12.170	13.91	13.92	27.83		
		मेदिनीनगर	पाण्डु	कुटमू	बघौता आहर का जिर्णोद्धार		15.657					
		योग						189.975	50.00	50.00		100.00
अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ पचास लाख मात्र।												

(ऑफर नाथ)  
सहायक अभियंता(जयप्रकाश भट्टाचार्या)  
उप सचिव (अभि.)(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी०सी० निगम)  
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव